संख्या-14/2020/385जेएल/22-3-20-800(106)/2019

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
प्रयागराज।

कारागार प्रशासन एवं सुधार** अनुभाग-**3 ***लखनऊ: दिनांक: 14 फरवरी, 2020***

विषय- केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी उदयभान करवरिया पुत्र स्व0 वशिष्ठ नारायण करवरिया, निवासी-1184 कल्याणी देवी, थाना-अतरसुइया, जनपद-प्रयागराज को पुत्री के विवाह हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी उदयभान करवरिया पुत्र स्व0 वशिष्ठ नारायण करवरिया, निवासी-1184 कल्याणी देवी, थाना-अतरसुइया, जनपद-प्रयागराज को शासनादेश संख्या-08/2020/02जेएल/22-3-20-800(106)/2019, दिनांक 20-01-2020 के क्रम में **15 दिन की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-14/2020/385जेएल(1)/22-3-20-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in